निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या : 130/दावा/2017 तारीख दायरा :–14.09.2017
ऑनलाइन प्रकरण संख्याः 00133/2017

उनवान

1. रमकुबाई पत्नी प्रभूलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी माधोपुरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़

–वादनी

बनाम

1. वंशीलाल वल्द हजारी लाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी माधोपुरिया तहसील मनोहरथाना
2. प्रभुलाल वल्द हजारी लाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी माधोपुरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–श्री कैलाशचन्द वैष्णव अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 24.06.2022

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जर्ये अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द वैष्णव ने वाद धारा 183 राज.टी. एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 47 पुरानी 42 की खसरा नम्बरान क्रमशः 22 की 17 बिस्वा, 23 की 3 बीघा 6 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 3 बिस्वा आराजी वादनी के खाते दर्ज है वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने अर्सा 4–5 साल पूर्व जबरना कब्जा कर लिया है जिसका कि उनको कोई हक एवं अधिकार नहीं है जो बेहेसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। वर्णित आराजी वादनी के खाते दर्ज होने पर भी प्रतिवादीगण ने जबरन अर्सा 4–5 साल से बलपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है जो बेहेसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। वर्णित आराजी पर से वादनी ने प्रतिवादीगण से कब्जा छोड़ने बाबत् कई बार कहां परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई सुनवाई नहीं कि अन्तिम बार दिनांक 1/6/2017 को प्रतिवादीगण से कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा छोडने से साफ इन्कार हो जाने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। वर्णित आराजी पर से प्रतिवादीगण ने जबरन अर्सा 4–5 साल से बलपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर रखा है जो बेहेसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। जिन्हें बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे। इस आशय बाबत वाद डिक्री किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 ता 2 को सूचना होने के बाद भी लगातार अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वादी द्वारा एकतरफा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 47 पुरानी 42 की खसरा नम्बरान क्रमशः 22 की 17 बिस्वा, 23 की 3 बीघा 6 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 3 बिस्वा आराजी वादनी के खाते दर्ज है जिस पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 ने जबरन अर्सा 4–5 साल से बलपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है। अतः प्रतिवादीगण 1 ता 2 को उक्त वर्णित आराजी से बेदखल कर कब्जा आराजी नापकर वादी को संभलाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया वर्णित आराजी वादी की खातेदारी आराजी है जिसपर प्रतिवादीगण का कब्जा बेहैसियत है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम माधोपुरा संवत 2069–72 की खाता संख्या नया 47 पुरानी 42 प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से वाद वादी डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 47 पुरानी 42 की खसरा नम्बरान क्रमशः 22 की 17 बिस्वा, 23 की 3 बीघा 6 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 3 बिस्वा आराजी की पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 का कब्जा पाया जाता है तो उक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को संभलाया जावे। डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास में सुनवाया गया।

(श्री अ[illegible] अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

डिकी मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान

प्रकरण संख्या : 130/दावा/2017 तारीख दायरा :– 14.09.2017
ऑनलाइन प्रकरण संख्याः 00133/2017

उनवान

1. रमकुबाई पत्नी प्रभूलाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी माधोपुरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज0)

–वादनी

बनाम

1. बंशीलाल वल्द हजारी लाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी माधोपुरिया तहसील मनोहरथाना
2. प्रभुलाल वल्द हजारी लाल जाति लोढ़ा (तंवर) निवासी माधोपुरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद धारा 183 राज0टी0एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री कैलाशचन्द वैष्णव मिन जानिब मुद्दालय -------- ने पेश होकर आदेश दिया जाता है किः–

ग्राम माधोपुरा पटवार हल्का सेमलीहाट तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 47 पुरानी 42 की खसरा नम्बरान क्रमशः 22 की 17 बिस्वा, 23 की 3 बीघा 6 बिस्वा कुल 2 किता की 4 बीघा 3 बिस्वा आराजी की पैमाइश कर बाद पैमाइश यदि वर्णित आराजी पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 का कब्जा पाया जाता है तो उक्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा आराजी वादी को संभलाया जावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना जिला झालावाड

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड